

(रा.पू. राजस्व अभिविधम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गोधम
सिवाशा जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पूलण की जमाबन्दी संवत् 2077-80 खाता
संख्या 217 में मेरा/हमारे नाम धेवर सिंह पुत्र हमीरा

दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम धेवर सिंह पुत्र हमीर सिंह

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

दिनांक :-

धेवर सिंह

हस्ताक्षर प्राची/प्राचीगण

रिपोर्ट पटवारी / मू.अ. निरीक्षक

प्राची के आधार कार्ड के अनुसार धेवर सिंह पुत्र हमीरा
के स्थान पर धेवर सिंह पुत्र हमीर सिंह शुद्ध नाम
जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं मू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

GemsNO - 2025/665

आदेश

क्रमांक / ग्रा.अ.प्र.शि. / 1733

तहसीलदार समदडी
सहस्रीलदार - समदडी

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पूलण की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता
संख्या 217 में

धेवर सिंह पुत्र हमीरा के बजाय सम्मान सूचक इन्दाज

धेवर सिंह पुत्र हमीर सिंह

की जाती है। प्रगत दरामद की कार्यवाही की जावे ।



कृपया कोणी प्रदान



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)